संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश,मध्य प्रदेश

पर्यावरण परिसर –ई–5 अरेरा कालोनी भोपाल
E-mail:mptownplan@mp.gov.in,दूरभाष–0755–2427094

सूचना

भोपाल,दिनांक 06/03/2021

क्रमांक 1499 /टीसी/05/उपां/नग्रानि/इन्दौर/2018–21 मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक–23 सन् 1973) की धारा 23–क की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन एतद् द्वारा सार्वजनिक जानकारी हेतु यह अधिसूचित किया जाता है कि संचालक, नीचे दी गई अनुसूची में यथानिर्दिष्ट इन्दौर विकास योजना, 2021 में उपान्तरण प्रस्तावित करता है।

अनुसूची

क0	ग्राम	खसरा क0	क्षेत्रफल हेक्टर में	विकास योजना में निर्दिष्ट भू–उपयोग	उपान्तरण पश्चात् उपान्तरित भू–उपयोग
1.	2.	3	4	5	6
1.	ग्राम उमरीखेड़ा	177, 175/2/1/मिन–1, 175/2/1/मिन–2, 175/5/मिन–2, 178/1/1, 178/1/2, 178/2/मिन–1, 178/3, 178/4, 179/1, 180/1/1, 175/3/मिन–1, 175/3/मिन–2, 175/5/मिन–1, 178/2/मिन–2	रकबा 3.173 1.400 0.300 4.748 4.776 0.125 1.000 2.452 4.905 0.252 3.989 1.400 2.464 0.689 1.453	कृषि	आवासीय
			33.126 हेक्टेयर		

निरंतर

नोटः–

राजस्व अभिलेख में उल्लेखानुसार कुल 33.126 हेक्टेयर भूमि का उपान्तरण प्रस्तावित किया गया है, जबकि स्थल पर 27.143 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध है।

शर्तः–

1. प्रश्नाधीन भूमि के मध्य स्थित शासकीय भूमि के क्षेत्रफल के बराबर का भूखण्ड, शासन द्वारा भूमि विनियम मान्य करने पर, अनुमोदित ले–आउट के अनुसार मुख्य प्रवेश के प्राइम लोकेशन पर आरक्षित करने होगा, तथा शासकीय भूमि तक पहुँच हेतु न्यूनतम 12.00 मीटर चौड़ा मार्ग, निर्बाध, आवागमन हेतु एवं अन्य ओर खुला क्षेत्र रखना अनिवार्य होगा।
2. प्रश्नाधीन भूमि के मध्य से गुजरने वाले नाले की सीमा से दोनो ओर नौ–नौ मीटर हरित क्षेत्र हेतु भूमि सुरक्षित रखना अनिवार्य होगी । यह भूमि योजना के (अभिन्यास) न्यूनतम खुले क्षेत्र में प्रगणित नही होगी । साथ ही नालें का प्रवेश एवं निकास भूमि में सुनिश्चित करना होगा ।
3. स्थल से पानी के प्राकृतिक निकास हेतु समुचित प्रबंध करना आवश्यक होगा ताकि, स्थल पर जल भराव नही हो ।
4. स्थल पर स्थित वृक्षों को यथावत रखना होगा ।
5. अभिन्यास अनुमोदन/विकास अनुज्ञा के पूर्व वन विभाग तथा राजस्व विभाग से अनापत्ति/अभिमत लिया जाकर नियमानुसार आवश्यक सुविधाओं हेतु भूमि सुरक्षित रखना होगा ।

   प्रस्तावित उपान्तरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिन की समयावधि के लिये आम जनता को निरीक्षण के लिये संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, इन्दौर तथा www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर निरीक्षण हेतु उपलब्ध होंगे ।

प्रस्तावित उपान्तरण के सम्बंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो वह संचालक नगर तथा ग्राम निवेश, म.प्र. भोपाल अथवा संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश,जिला कार्यालय इन्दौर को, दैनिक समाचार पत्रों में इस सूचना प्रकाशन होने की दिनांक से 15 दिन के भीतर लिखित में प्रस्तुत कर सकेगा एवं ऐसी आपत्तियॉ या सुझाव, जो ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान होने से पूर्व प्राप्त होगें, पर संचालनालय द्वारा विचार किया जावेगा ।

(अजीत कुमार)
आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म0प्र0भोपाल